

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०स०- १९/२०१२ २७।  
 झारखण्ड सरकार  
 जल संसाधन विभाग

1/2

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
 प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवधर;  
 संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: ३०-०३-१३

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष-६९-छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत (चालू योजना), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, ४९P470180800690545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र० | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष                                    | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                                                                             | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड                               | कुल आवंटन (लाख रु. में) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2                                                                        | 3                                                                                              | 4                                                      | 5                       |
| 1.   | ४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य / | ८००-अन्य व्यय / ६९-छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत (चालू योजना) | ०५-निर्माण / ४५ मुख्य निर्माण कार्य ४९P470180800690545 | - २७.१५                 |

शुद्ध अतिरिक्त आवंटित राशि ऋणात्मक - ₹ सताईस लाख पन्द्रह हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. १३२८.०० (तेरह करोड़ अठाईस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट १ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

M.C.J  
 (सुरेश प्रसाद भगत)  
 सहायक अभियंता

सुबोध कुमार सिन्हा  
 (सुबोध कुमार सिन्हा)  
 संयुक्त सचिव (अभि.)

बी. सी. निगम  
 (बी. सी. निगम)  
 विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- २८।

रॉची, दिनांक :- ३०-०३-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवधर/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- २९।

रॉची, दिनांक :- ३०-०३-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (भो.) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 291

दिनांक ३०-०३-१३

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-470। मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष-69-छोटानगापुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत (चालू योजना)

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P 470180800690545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उम्बेद्कर 1328.00 लाख (तेस्रह करोड़ अठाइस लाख) रुपये मात्र।

राशि (लाख ₹ में)

| क्र. नं | प्रमांडल का नाम                      | मुख्य योजना का नाम                | प्रशासनिक स्वीकृति का मार्च 2012         |          | वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन |                |            |                |             | अस्वीकृति       |                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                      |                                   | प्रसंग                                   | राशि     | तक का व्यय                     | पूर्व का आवंटन | प्रत्यर्पण | अतिरिक्त आवंटन | शुद्ध आवंटन | कुल आवंटित राशि |                                                                                                                                                  |
| 1       | 2                                    | 3                                 | 4                                        | 5        | 6                              | 7              | 8          | 9              | 10          | 11              | 13                                                                                                                                               |
| 1       | गंगा नदी प्रमांडल, शिवर महगामा देवघर | बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना | पत्रांक 32 / 10-11 प्र० स्वी. 15.01.2011 | 10031.89 | 222.42                         | 225.00         | 102.15     | 0.00           | -102.15     | 122.85          | Earth work & Lining work from ch. 47.10 to 142.80 Agreement No. 01/SBD/11-12                                                                     |
|         |                                      |                                   |                                          | 0.85     | 0.00                           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00        | 0.85            | Construction of 19 nos. SLR Bridges & 5 nos. DLR Bridges at different R.D. of main canal between R.D. 47.10 to 142.80 Agreement No. 03/SBD/11-12 |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | R/M of I/V (JH 15B-6082)                                                                                                                         |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | कुल योग                                                                                                                                          |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | 1325.85                                                                                                                                          |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | 102.15                                                                                                                                           |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | 75.00                                                                                                                                            |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | -27.15                                                                                                                                           |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | 1298.70                                                                                                                                          |
|         |                                      |                                   |                                          |          |                                |                |            |                |             |                 | शुद्ध अतिरिक्त आवंटि राशि -ऋणात्मक ₹ साताइस लाख पन्द्रह हजार मात्र।                                                                              |

Y.C.L

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(मुबादल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निर्माण)

विशेष सचिव

(एस० क० शतपथी)

प्रधान सचिव